आतंकवाद निवारण (निरसन) अधिनियम, 2004

(2004 का अधिनियम संख्यांक 26)

[21 दिसम्बर, 2004]

आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002

का निसरन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आतंकवाद निवारण (निरसन) अधिनियम, 2004 है ।

(2) यह 21 सितंबर, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. 2002 के अधिनियम 15 का निरसन और व्यावृत्ति—(1) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) मूल अधिनियम के निरसन से—

(क) मूल अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या भोगी गई किसी बात पर, या

(ख) मूल अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषधिकार या बाध्यता अथवा दायित्व पर, या

(ग) मूल अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण, या दण्ड पर, या

(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर,

प्रभाव नहीं पड़ेगा और, ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और कोई ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो मूल अधिनियम निरसित न किया गया हो:

परन्तु इस उपधारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय इस अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् मूल अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

(3) मूल अधिनियम की धारा 60 के निरसन के होते हुए भी, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित पुनर्विलोकन समिति, चाहे उस धारा की उपधारा (4) के अधीन कोई आवेदन किया गया हो या नहीं, मूल अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी मामलों का इस बारे में पुनर्विलोकन करेगी कि क्या उसके अधीन अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रथमदृष्टया मामला है, और ऐसी पुनर्विलोकन, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा, और जहां पुनर्विलोकन समिति की यह राय है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं है वहां, ऐसी पुनर्विलोकन समिति द्वारा इस संबंध में निदेश जारी किए जाने की तारीख से —

(क) ऐसे मामले, जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, वापस ले लिए गए समझे जाएंगे; और

(ख) ऐसे मामलों में, जिनमें अन्वेषण लंबित है, अन्वेषणों को तत्काल बंद कर दिया जाएगा।

(4) मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित पुनर्विलोकन समिति को, मामलों का पुनर्विलोकन करते समय, निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसका पेश किया जाना;

(ख) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा करना ।

(5) केंद्रीय सरकार, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पुनर्विलोकन को पूरा करने के लिए अधिक पुनर्विलोकन समितियां, जैसी वह आवश्यक समझे, गठित कर सकेगी ।

3. निरसन और व्यावृत्ति—(1) आतंकवाद निवारण (निरसन) अध्यादेश, 2004 (2004 का अध्यादेश सं०1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।